संख्याः 234 /35–1–2012–3/1(27)/99 टी0सी0

प्रेषक,

विजय कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवामें,

महानिदेशक,
राज्य नियोजन,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0,योजना भवन,लखनऊ।

*नियोजन अनुभाग–1*

*लखनऊः दिनॉक 14 मार्च फरवरी, 2012*

**विषयः वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राजकीय विभागो के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय को राज्य नियोजन संस्थान में कार्यान्वयन के सम्बनध में।**

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर सचिवालय के इतर लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिए गये सामान्य निर्णय के क्रम में राज्य नियोजन संस्थान के लिपिकीय संवर्ग में इस शासनादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक–1 के स्तम्भ–2 में उल्लिखित पदनाम के समक्ष स्तम्भ–3 में इंगित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ–4 में इंगित पदों की संख्या तथा स्तम्भ –5 में पदों को भरे जाने की वर्णित व्यवस्था को अनुलग्नक–2 के स्तम्भ–2 के अनुसार पदनाम, स्तम्भ–3 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ–4 के अनुसार पदों की संख्या तथा स्तम्भ–5 के अनुसार पदों को भरे जाने की व्यवस्था दिनॉक 18–3–2011 से प्रतिस्थापित किये जाने की जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उर्पयुक्त संवर्गीय पुर्नगठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन के सापेक्ष समायोजित होने वाले पद धारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्याःवे0आ0–2–841/दस–2009–59(एम)/2008, दिनॉक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार सेवा नियमावली में संशोधन कर लिया जायेगा ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याःवे0आ0–1–123/दस–2012, दिनॉक 21–2–2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

*संलग्नकःयथोक्त।*

भवदीय

विजय कुमार मिश्र
संयुक्त सचिव।

2/–

संख्याः 234(1)/35–1–2012, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ उ0प्र0।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश को नियोजन विभाग की बेवसाइट पर डाले जाने हेतु ।
4– वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग–1/2
5– वित्त (व्यय–नियन्ण) अनुभाग–5
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक–1

शासनादेश संख्याः 234 (1)/35–13/1(27)/99टी0सी0,
दिनॉक 14 अगस्त फरवरी, 2012

| क0 स0 | पद नाम | पदो की सं0 | पुनरीक्षित वेतनसंरचना वेतन बैण्ड | ग्रेड वेतन रू0 | भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रकिया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1– | कनिष्ठ सहायक | 17 | 5200–20200 | 1900 | 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति हो।<br>15 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह घ के कर्मचारियो में से जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उर्त्तीण की हो और जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट गति होना आवश्यक है।<br>05 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह घ के कर्मचारियों में से जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जिसने भर्ती के वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट गति होना आवश्यक है। |
| 2– | वरिष्ठ सहायक | 12 | 5200–20200 | 2400 | शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा स्थाई कनिष्ठ सहायको में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर। |
| 3– | मुख्य लिपिक | 03 | 5200–20200 | 2800 | शत प्रतिशत पदोन्नति द्वार स्थाई वरिष्ठ सहायको में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर। |
| 4– | प्रशासनिक अधिकारी | 01 | 9300–34800 | 4200 | शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा स्थाई मुख्य लिपिको में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर |

( विजय कुमार मिश्र )
संयुक्त सचिव।